रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1967/आषाढ़ 31, 1889

No. 98] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1967/ASADHA 31, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Resolution

New Delhi, the 22nd July 1967

No. F.24/4/67-SR.—Appreciating the political aspirations of the people of hill areas of Assam, the Government of India announced on the 13th January, 1967 their intention to reorganise the present State of Assam. It was then proposed that a federal structure composed of federating units having equal status, not subordinate to one another, should provide the basis for the reorganisation. Since then, the matter was discussed with the representatives of various political parties and associations in the State. It was considered further at a joint discussion on the 8th and 9th July, 1967 with some Members of Parliament from Assam and some Members of the Assam Legislative Assembly, representing different political parties in the State. Certain alternative proposals for reorganisation, namely the scheme recommended by the Commission on the hill areas of Assam with necessary modifications and a separate State for the hill districts were suggested at this discussion. It was suggested by representatives of most of the political parties present at the discussion that the Committee consisting of

following persons which was constituted at the time of the joint discussion, should continue its efforts to reach an agreed conclusion as to the basis on which the reorganisation of the State should be undertaken :—

Chairman

Shri Asoka Mehta, Minister of Planning, Petroleum & Chemicals and Social Welfare.

Members

1. Shri B. P. Chaliha, Chief Minister of Assam.
2. Shri C. S. Teron, Minister, Tribal Areas.
3. Shri Hem Barua, M.P.
4. Shri B. Bhagavati, M.P.
5. Shri Moinul Haque Chaudhury, MLA.
6. Shri Williamson A. Sangma, MLA.
7. Shri S.D.D. Nichols-Roy, MLA.
8. Shri Atul Chandra Goswami, MLA.
9. Shri Phani Bora, MLA.
10. Shri G. S. Bhattacharji, MLA.
11. Shri Shamshul Huda, MLA.

2. The Government of India have accepted the suggestion made at the joint discussion and have accordingly appointed a Committee consisting of the persons mentioned above under the Chairmanship of Shri Asoka Mehta.

3. The Committee shall examine the proposals for the reorganisation of Assam and make an effort to reach an agreed solution.

4. The Committee will devise its own procedure for its work.

5. The Committee will present its report to the Government not later than the 31st August, 1967.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc. and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and the Members of the Committee.

M. R. YARDI, Addl. Secy.

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 22 जुलाई 1967

संख्या एफ० 24/4/67-एस० आर०—आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों की जनता की राजनीतिक कामनाओं को समझते हुये भारत सरकार ने 13 जनवरी 1967 को वर्तमान आसाम राज्य का पुनर्गठन करने की अपनी इच्छा घोषित की। उस समय ऐसा विचार था कि एक संघीय ढांचे को पुनर्गठन का आधार बनाया जाये जिसके अन्तर्गत संघ में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक इकाई का दर्जा एक समान हो और उनमें से कोई भी एक दूसरे के अधीन न हो। तब से इस बारे में राज्य के विभिन्न

राजनीतिक दलों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया । इसके बाद आगे चल कर इस बारे में 8–9 जुलाई, 1967 को आसाम से निर्वाचित कुछ संसद् सदस्यों और आसाम विधान सभा के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से विचार किया गया । ये संसद् सदस्य और विधान सभा सदस्य राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते थे । इस विचार-विमर्श में कुछ पुनर्गठन के बारे में कुछ वैकल्पिक सुझाव दिये गये, यथा आवश्यक संशोधनों के साथ आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई योजना और पहाड़ी जिलों के लिये एक पृथक राज्य का निर्माण । विचार-विमर्श के समय उपस्थित अधिकांश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संयुक्त विचार-विमर्श के समय निर्मित निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को एक ऐसे सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने के अपने प्रयत्न जारी रखने चाहियें जिसके आधार पर राज्य के पुनर्गठन का काम हाथ में लिया जा सके:—

अध्यक्ष

श्री अशोक मेहता, योजना, पैट्रोल तथा रसायन और सामाजिक कल्याण के मंत्री ।

सदस्य

1. श्री बी० पी० चाहिला, आसाम के मुख्य मंत्री ।
2. श्री सी० एस० टैरो, मंत्री अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र ।
3. श्री हेम बरुआ, संसद् सदस्य ।
4. श्री बी० भगवती, संसद् सदस्य ।
5. श्री मोहनूल हक़ चौधरी, विधान सभा सदस्य ।
6. श्री विलियमसन ए० संगमा, विधान सभा सदस्य ।
7. श्री एस० एस० डी० निकल्स राय, विधान सभा सदस्य ।
8. श्री अतुल चन्द्र गोस्वामी, विधान सभा सदस्य ।
9. श्री फनीबोरा, विधान सभा सदस्य ।
10. श्री जी० एस० भट्टाचार्य जी, विधान सभा सदस्य ।
11. श्री शम सुलहुदा, विधान सभा सदस्य ।

2. भारत सरकार ने संयुक्त विचार-विमर्श के दौरान किये गये इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में उपरोक्त व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त कर दी है ।

3. समिति आसाम के पुनर्गठन सम्बन्धी सुझावों की जांच करेगी और एक सर्वसम्मत हल ढूंढने का प्रयत्न करेगी ।

4. समिति अपनी काम करने की प्रक्रिया का स्वयं निर्माण करेगी ।

5. समिति अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक 31 अगस्त, 1967 तक सरकार को दे देगी ।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक प्रति सभा राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेजी जाये और इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भी भेजी जाये ।

एम० आर० यार्दी, अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967